ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

ीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

ाजस्व वाद संख्या : 278/2018

CMS NO. : 2018/00338

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. जगदीश पुत्र पुसाराम
2. रमेश पुत्र पुसाराम
3. श्रीमति कमला पुत्री पुसाराम पत्नी मंगलाराम

सभी जातियान–मेघवाल(भाम्बी) निवासीगण– ग्राम भींवगढ़ पोस्ट रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

ाजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.06/11/2018

ुपस्थित:– 1. श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:– 31/08/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत ारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व भिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि ग्राम भींवगढ़ टवार हल्का रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली में खसरा नम्बर 2160 रकबा 8–10 बीघा किस्म किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 19–12 िस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण की मलाती कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां वादपत्र के ाथ प्रस्तुत की जा रही है। वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण ह खातेदार के रूप में काबिज खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि भूमि में अपने क हिस्से को निर्विवाद एवं बरोकटोक शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं मुतालिक काश्त ार्य करते चले आ रहे है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व कर्ड में वादीगण के पिता पुसाराम पुत्र पीरूजी का ... बोलते ाम पूनिया के नाम का इन्द्राज कर दिया गया। वादीगण के पित... व परिवार बोलते नाम पुनिया से पुकारा जाता था। जबकि वादीगण के पिता ... सही नाम ुसाराम था उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड को जब ... समय प्रथम माबन्दी तैयार की गई उस समय वादीगण के पिता का नाम पुसारा... र्ज करना था क्त भूमि के राजस्व रेकर्ड को जब मिसल बन्दोबस्त के समय प्रथम जमाबन्दी तैयार ी गई उस समय वादीगण के पिता का नाम पुसाराम दर्ज करना था लेकिन वादीगण पिता का सही नाम पुसराम दर्ज नहीं करके वादीगण के पिता के घर परिवार में जो ाधारण भाषा में बोलचाल का नाम पुनिया दर्ज कर दिया। जो गलत है तथा दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

..ा जाने योग्य है। वादीगण के सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में भी वादीगण ..े वल्दीयत के रूप में वादीगण के पिता का सही नाम पुसाराम ही दर्ज है तथा ..दीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पुसाराम पुत्र श्री पीरूजी ही दर्ज है तथा ..दीगण के पिता एक अशिक्षित ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे। जिन्होंने अपने जीवनकाल .. कभी अपनी उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड बाबत् जानकारी नही ली। इस प्रकार उक्त ..मि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के पिता के रूप में दर्ज पुनिया नाम का अंकन ..क रोंग्य प्रविष्टि है। जबकि वादीगण के पिता का सही नाम पुसाराम है। जिसका ..दीगण को राजस्व रेकर्ड में अपने पिता के नाम की गलत प्रविष्टि पुनिया को हटवाकर ..सके स्थान पर अपने पिता का सही नाम पुसाराम दर्ज करवानें व राजस्व रेकर्ड को ..रुस्त करवाने का वादीगण विधिक रूप से अधिकारी है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या .. राजस्थान सरकार अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करनें से पूर्व ..नूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस ..कार से उत्पन्न हो चुकी हैं कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का ..कसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(2) सी. पी. सी. का प्रार्थनापत्र ..स्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 25.10.2018 को उत्पन्न हुआ ..ब वादीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि में अपने पिता का फौतेदगी म्युटेशन दर्ज ..रवानें हेतु पटवार कार्यालय में उपस्थित हुये तब हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को ..ताया कि आपके उक्त राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम पुनिया पुत्र पीरू दर्ज है। ..बकि आपने अपने पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया है उसमें पुसाराम पुत्र पीरू दर्ज .. इस कारण यह म्युटेशन दर्ज नहीं किया जा सकता। आप पहलें अपने राजस्व रेकर्ड ..े दुरूस्त करावें तथा अपने पिता नाम की अंकित रोन्ग एन्ट्री पुनिया को हटवाकर ..सके स्थान पर सही नाम पुसाराम दर्ज करावें। इसके पश्चात् ही आपके नाम म्युटेशन ..र्ज किया जा सकेगा। वादीगण को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने पिता के नाम की ..लत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादीगण ने उसी रोज अपने राजस्व ..र्ड की नकले प्राप्त कर अपने राजस्व रेकड़ में अपने पिता के नाम को दुरूस्त ..वानें का वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार ..श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते ..बाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ. ..21/745 दिनांक 12.03.2021 पेश की, जांच रिपोर्ट में कथन किया गया है कि ..ल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सही दर्ज किया गया। राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज पुनिया के ..थान पर पुसाराम दुरस्त करानें हेतु वादी स्वयं साक्ष्य ... ..रें। बहस अधिवक्त वादीगण एवं सरकारी पैरोकार राज की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ... ..स्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली ... विवेचन एवं ..र्णयन निम्नानुसार है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:37:59 IST
Reason: SelfAttested

.. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ पटवार हल्का रास ..द्वितीय, तहसील- जैतारण, जिला- पाली में खसरा नम्बर 2160 रकबा 08-10 बीघा ..किस्म किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 19-12 किस्म बारानी ..अव्वल की कृषि भूमि में वादीगण के पिता बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में

सहायक ... उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

...गण के पिता का प्रसाराम पुत्र पीरू का त्रुटिपूर्ण नाम पूनीया पुत्र पीरु सहवन से ... हो गया, जो वर्तमान में पूना पुत्र पीरू के रूप में जारी है, वादीगण के पिता का ...ही एवं वास्तविक नाम पुसाराम पुत्र पीरू है। अतः वादीगण जरिये घोषणात्मक डिक्री ... अभिलेख में अपना सही एवं वास्तविक नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वादग्रस्त आराजी के भू ...भिलेख में सहखातेदार पूनीया पुत्र पीरू का नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरणकरण सही ... किया गया है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज पुनिया के स्थान पर पुसाराम दुरस्त कराने हेतु ...दी स्वयं साक्ष्य एवं सबुतों के आधार पर सिद्ध करें।

प्रदर्श 01 जमाबन्दी सम्वत् 2072 2075 ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय ... अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास के खसरा नम्बर 2160 रकबा 08-10 बीघा एवं प्रदर्श ...2 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 ग्राम भींवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय भू ...भिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास के खसरा नम्बर 1911 रकबा 19-12 बीघा किस्म बारानी ...चल व प्रदर्श 03 जमाबन्दी सम्वत् 2018-2021 ग्राम भींवगढ़ पटवार हल्का रास ...तीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास के अनुसार वादग्रस्त आराजी में अन्य ...हखातेदारान् के साथ वादीगण के पिता का नाम पूनिया पुत्र पिरु कौम भाम्बी बतौर ...तेदार दर्ज है। प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2076-2079 के अनुसार ...दग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण नाम पूना पुत्र पीरू दर्ज है, जो ...क त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। प्रदर्श-4ए मृतक पुसाराम पुत्र पीरू का मृत्यु प्रमाण पत्र, ...र्श-05ए वादी जगदीश पुत्र पुसाराम का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान ..., प्रदर्श-06ए वादी जगदीश पुत्र पुसाराम का आधार कार्ड, वादी के पिता का नाम ...ाराम दर्ज हैं। वादी जगदीश का साक्ष्य शपथ पत्र PW -1, गवाह शंकरलाल पुत्र ...रराम जाति-नायक निवासी भींवगढ़ PW-2, एवं गवाह बहादुर पुत्र मंगला जाति-मेहरात ...वासी भींवगढ़ का PW-3, द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पर कारित कथन के अनुसार वादीगण ... पिता वास्तविक एवं सही नाम क्रमशः पुसाराम पुत्र पीरु है हैं। भू-अभिलेख में दर्ज ...ीया पुत्र पीरू नाम की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण हैं। पुसाराम पुत्र पीरू एवं पूनीया पुत्र पीरू ...तुतः एक ही व्यक्ति है। अतः दस्तावेज में इसी अनुरूप में नाम दर्ज किया जावे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् ... यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता पुसाराम पुत्र पीरू एवं वादग्रस्त आराजी में ...तौर खातेदार दर्ज पूनीया पुत्र पिरु वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं ...स्तविक नाम पूनीया न होकर पुसाराम है। वादीगण के पिता का भू-अभिलेख में नाम ...रिये फौतदेगी नामान्तरण के दर्ज हुआ है, जिसमें पूरी सम्भावना है कि वारिसान में से ...सी का घरेलु प्रचलित या आधा अधुरा नाम भू-अभिलेख में दर्ज हो... । प्रत्येक ...तेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है, कि उसके ... की ...ग्रस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किये जाकर डिक्री ...या जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण विरुद्ध ...तिवादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं ...रा 136, भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर प्रदेश
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...ीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम भींवगढ़ पटवार हल्का तहसील-...तारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 2160 रकबा 08-10 बीघा किस्म किस्म ...रानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 19-12 किस्म बारानी अव्वल अव्वल ... बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के पिता पुसाराम पुत्र पीरू का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध ...ाम की प्रविष्टि ***"पूनीया"***, जो वर्तमान भू अभिलेख में ***"पूना"*** दर्ज हैं को विलोपित ...रते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"पुसाराम"*** दर्ज कर ...ृतक खातेदार पुसाराम पुत्र पीरू जाति मेघवाल निवासी ग्राम भींवगढ़ पटवार हल्का ...ास-द्वितीय को वादग्रस्त आराजी में खातेदार अभिघारी घोषित किया जाता है, शेष ...विष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी ...ुताबिक भू अभिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खानेदार पुसाराम पुत्र पीरू ... विधिक वारिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत ...रें। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार पुसाराम पुत्र पीरू के ...धिक वारिसान की सूची एवं आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत ...। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा ...क्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या ... एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

...र्णय आज दिनॉक 31/08/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
जलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादी :–

जगदीश पुत्र पुसाराम
रमेश पुत्र पुसाराम
श्रीमति कमला पुत्री
पुसाराम पत्नी मंगलाराम
सभी जातियान–मेघवाल(भाम्बी)
निवासीगण– ग्राम भींवगढ़ पोस्ट रास,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राजस्थान।

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज)

नस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती न्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा० स०: 278/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री कर सिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, तेवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के लोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान नस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956 बूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम वगढ़ पटवार हल्का तहसील– जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 2160 रकबा –10 बीघा किस्म किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 19–12 किस्म ानी अव्वल अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के पिता पुसाराम पुत्र पीरू का पूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"पूनीया"***, जो वर्तमान भू अभिलेख में ***"पूना"*** दर्ज हैं विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"पुसाराम"*** कर मृतक खातेदार पुसाराम पुत्र पीरू जाति मेघवाल निवासी ग्राम भींवगढ़ पटवार हल्का –द्वितीय को वादग्रस्त आराजी में खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां ावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक भू भिलेख में इन्द्राज करें तथा तत्पश्चात मृतक खातेदार पुसाराम पुत्र पीरू के विधिक रिसान की सम्यक् जांच कर नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें। वादीगण को र्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार पुसाराम पुत्र पीरू के विधिक वारिसान की सूची आवश्यक दस्तावेजात् तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत करें। इसी कदर वादपत्र बहक दीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा ... शामिल सल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम हो... बाद ...कमील दाखिल तर हो।

ज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें ... .–......फीस ी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/..../2021 को जारी या गया।

फिक

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:59 IST
Reason: SelfAttested

...ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
...म्प अर्जी दावा	2-00		स्टाम्प वकालतनामा		
...म्प वकालतनामा	01-00		स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह सबूत			महनताना वकील		
...नताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
...स कमीश्नर	03-00		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
...बत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	06-00		मिजानः-	Nil-	

...टः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया ...या हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:59 IST
Reason: SelfAttested